ISSN-0971-8397

योजना

फरवरी 2012 | विकास को समर्पित मासिक | ₹ 10

विदेश व्यापार

मुक्त व्यापार समझौते और भारत

● विपुल चटर्जी
जोसेफ जॉर्ज

अनेक देश मुक्त व्यापार समझौतों के द्वारा निर्यात विस्तार के अवसर तलाश रहे हैं। पिछले दो दशकों के दौरान इसकी रफ़्तार बढ़ी है। घरेलू हितधारक, चाहे वे उत्पादक हों, उपभोक्ता अथवा बिचौलिये, विकासशील दुनिया में अपने हितों में तुरंत सुधार करना चाहते हैं। उनकी व्यापार उदारीकरण नीतियां आर्थिक विकास और ग़रीबी घटाने की नीतियों से ज्यादा से ज्यादा संबद्ध की जा रही हैं। नवंबर 2011 की स्थिति के अनुसार विश्व व्यापार संगठन द्वारा अधिसूचित मुक्त व्यापार समझौतों की संख्या बढ़कर 505 तक पहुंच गई है।

मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) से इसके सदस्य देशों को वचनबद्धता मिल जाती है जिसके अनुसार वे आपस में विभिन्न व्यापारिक बाधाओं को घटा सकते हैं या एकदम हटा सकते हैं। लेकिन गैर-सदस्य देशों के लिए वे ज्यों-की-त्यों बनी रहती हैं। इस तरह से मुक्त व्यापार समझौतों के सदस्य देश एक-दूसरे के बाज़ारों में गैर-सदस्यों के मुक़ाबले आसानी से प्रवेश प्राप्त कर लेते हैं। उनके ऊपर लागू होने वाली रुकावटें और अन्य बातें उनके बीच हुए समझौतों पर निर्भर करती हैं। इन समझौतों के बुनियादी रूप हैं- प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट यानी एक-दूसरे को प्राथमिकता देने वाले व्यापार समझौते।

अधिकांशतः ऐसे व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर करने वाले देश किसी ख़ास भौगोलिक क्षेत्र के होते हैं। उदाहरण के लिए यूरोपियन यूनियन, नार्थ अमरीकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशंस आदि। इसीलिए इनको क्षेत्रीय व्यापार समझौते भी कहा जाता है। इस प्रकार के समझौते सदस्य देशों के बीच आर्थिक और राजनीतिक संबंध बढ़ाने के पहले चरण के रूप में होते हैं। बाद में इनका दर्ज़ा बढ़ाया जा सकता है और जिसके अनुसार विभिन्न यूनियनों के अंदर सदस्य देशों को बेहतर अवसर मिलने लगते हैं।

मुक्त व्यापार समझौतों के उद्देश्य

मुक्त व्यापार समझौतों में एक बुनियादी सवाल यह होता है कि क्या बहु-सदस्यीय समझौते मुक्त व्यापार समझौते के मुक़ाबले बेहतर हैं? विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत बहुराष्ट्रीय व्यापार उदारीकरण को सभी देशों को समान रूप से और बिना भेदभाव के अपने बाज़ारों में पहुंच देने के लिए सबसे अच्छे समझौते माने जाते हैं। दूसरी ओर प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट के ज़रिये अन्य उत्पादों के आयात का विचलन किया जा सकता है।

मुक्त व्यापार समझौते के ज़रिये जो प्राथमिकताएं प्रदान की जाती हैं उनके कारण गैर-सदस्य देशों को उन बाज़ारों में प्रवेश में बाधाएं पैदा होती हैं। इस प्रकार के समझौते उन गैर-भेदभाव वाले दिशा-निर्देशों के विरोधाभासी होते हैं जिनके आधार पर विश्व व्यापार संगठन बनाया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार, अगर कोई देश अपने व्यापार में भागीदारों को बेहतर सुविधाएं देता है तो उसे ऐसी ही सुविधाएं विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों देशों को भी देनी चाहिए। लेकिन विश्व व्यापार संगठन व्यवस्था में कुछ अपवाद भी शामिल हैं।

इस तरह से मुक्त व्यापार समझौते दुनिया के विभिन्न भागों में बढ़ रहे हैं और 1995 में विश्व व्यापार संगठन के गठन के बाद से बहु-राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था बढ़ी है। इस प्रकार की व्यवस्था के अनेक प्रकार के स्पष्टीकरण भी दिए जाते हैं। ऐसी व्यवस्था के अंतर्गत वार्ता में आसानी रहती है और विदेश व्यापार नीति में सुधार लाना आसान होता है। साथ ही, बाज़ार का आकार बढ़ाने में आसानी रहती है। सरकारें इस प्रकार मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर कर सकती हैं और उनके ज़रिये व्यापार में उदारीकरण की नीतियों को बदल सकती हैं। वार्ता में तुलनात्मक रूप से सरलता का मतलब यह भी है कि व्यापार उदारीकरण के स्तर में परिवर्तन होता है और यह सिर्फ़ शुल्क दरों में कटौती तक ही सीमित नहीं रहता।

उक्त के अलावा मुक्त व्यापार समझौते में वृद्धि के अनेक राजनीतिक उद्देश्य भी बताए जाते हैं। इस प्रकार के समझौते ज्यादातर देशों के बीच कूटनीतिक संबंध मज़बूत करने के उद्देश्य से किए जाते हैं। उनका उद्देश्य यह होता है कि एक जैसे संसाधनों का इन समझौतों के ज़रिये इस्तेमाल किया जाए, क्षेत्रीय एकजुटता को मज़बूत करके बाहरी ख़तरों को दूर किया जाए, संयुक्त रूप से सौदेबाजी की ताक़त बढ़ाई जाए। उदाहरण के लिए अनेक लैटिन अमरीकी देशों ने ऐसे समझौते करके अमरीका के मुक़ाबले अपनी प्रतियोगिता शक्ति बढ़ा ली है।

भारत का हस्तशिल्प निर्यात

● विजय ठाकुर

भारत का हस्तशिल्प क्षेत्र जो ग्रामीण और अर्द्धशहरी क्षेत्रों में रोज़गार देने वाला सबसे बड़ा क्षेत्र है, पिछले चार वर्षों में संकट के दौर से गुज़र रहा है। किसी उल्लेखनीय प्रगति के बजाय देश का निर्यात जो 2006-07 में ₹ 17,288 करोड़ का था, 2010-11 में गिरकर ₹ 10,533 करोड़ पर आ गया। दिलचस्पी की बात यह है कि वर्ष 2006-07 में यह अनुमान लगाया था कि 2010 तक यह क्षेत्र ₹ 30,000 करोड़ से ऊपर निकल जाएगा, परंतु अनुमानित लक्ष्य से यह 66 प्रतिशत पीछे रह गया। इस गिरावट का मुख्य कारण यों तो 2008 में छाई वैश्विक मंदी को बताया जाता है। हस्तशिल्प क्षेत्र के विशेषज्ञों को यह कल्पना नहीं थी कि स्थिति इतनी बिगड़ सकती है और उसे पटरी पर वापस आने में इतना लंबा समय लग सकता है। यह क्षेत्र जो ग्रामीण क्षेत्र के 70 लाख ग़रीब शिल्पियों को रोज़गार प्रदान करता है, अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में अपनी चमक खोता जा रहा है। यह अभी भी 2008 की वैश्विक मंदी के प्रभाव से निकलने के लिए संघर्ष कर रहा है और अपना निर्यात राजस्व घटाकर आधा कर चुका है। वर्ष 2006-07 में जब देश का हस्तशिल्प निर्यात अपने शिखर पर (₹ 17,208 करोड़) था, सरकार ने अनुमान लगाया था कि अगले चार वर्षों में हस्तशिल्प का निर्यात बढ़कर ₹ 30,000 करोड़ तक पहुंच जाएगा। आज अनुमान की बात तो भूल जाइए, यह क्षेत्र 2006-07 के अपने निर्यात रिकार्ड तक भी नहीं पहुंच पा रहा है। विकट वैश्विक परिस्थितियों के चलते भारतीय हस्तशिल्प उद्योग ऐसी अनेक समस्याओं से ग्रस्त है जो इसके विकास के मार्ग में बाधक बने हुए हैं। सरकार ने निर्यात बढ़ाने के लिए अनेक क़दम उठाए हैं, परंतु भारत के इस पारंपरिक शिल्प को बढ़ावा देने और शिल्पियों की सहायता के लिए गहराई से विचार करने और तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है। यद्यपि भारत की सांस्कृतिक विविधता में हस्तशिल्प की समृद्धि की भरपूर संभावना है, परंतु इसके लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाओं, उत्पादों की रूपरेखा और अभिकल्पना में मौलिकता की कमी, विश्व की मांग के अनुसार कलात्मक वस्तुओं के निर्माण का अभाव तथा वैश्विक प्रवृत्तियों के बारे में अज्ञानता बनी हुई है। इन सब कारणों से इस उद्योग के विकास में वांछित प्रगति नहीं हो पा रही है।

चित्र-1

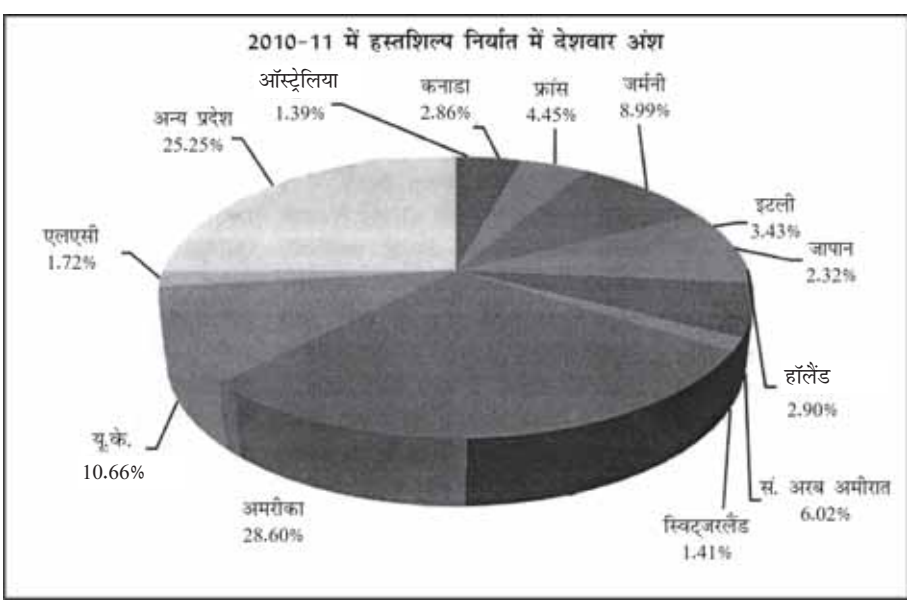

भारतीय हस्तशिल्प उद्योग

भारत का शिल्प उद्योग देशभर में फैला हुआ है। विशेषकर ग्रामीण और अर्द्धशहरी क्षेत्रों में अनेक लोग इस उद्योग से जुड़े हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के बाद हस्तशिल्प क्षेत्र दूसरा सबसे बड़ा रोज़गार देने वाला क्षेत्र है। कृषि के बाद सबसे अधिक रोज़गार देने के अलावा इस उद्योग ने देश की अर्थव्यवस्था में भी उल्लेखनीय योगदान किया है। इसमें पूंजी निवेश की आवश्यकता कम होती है परंतु लाभ होने की संभावना अधिक। भारत में सांस्कृतिक विविधता और समृद्धि के कारण इस क्षेत्र की संभावनाएं काफी उज्ज्वल हैं और ग्रामीण शिल्पियों को बड़ी मात्रा में रोज़गार देने में भी यह सक्षम है। पिछड़ी जातियों के शिल्पियों को आर्थिक रूप से सबल बनाने की इस क्षेत्र में काफी संभावनाएं हैं। भारत से होने वाले निर्यात में हस्तशिल्प का योगदान तो उल्लेखनीय है।

भारत से निर्यात संभावनाएं

● संजय तिवारी

दुनिया की उभरती अर्थव्यवस्था के रूप में भारत का विश्व व्यापार में प्रतिशत बहुत कम है। सामानों के निर्यात में भारत का 20वां और सामानों के आयात में 13वां स्थान है। इसी तरह विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के आंकड़ों के अनुसार व्यापारिक सेवा निर्यात में भारत का सातवां स्थान है। सामानों के निर्यात (एफओबी) में वार्षिक परिवर्तनों और आयात (सीआईएस) के आधार पर क्रमशः भारत का 17वां और 18वां स्थान है। आश्चर्य की बात है कि 2010 तक विश्व के सभी देशों से हो रहे कुल निर्यात में भारत का हिस्सा सिर्फ़ 1.44 प्रतिशत है जबकि आयात में मात्र 2.12 प्रतिशत है।

बारहवीं योजना दस्तावेज़ के मसौदे के अनुसार, भारत के आयात-निर्यात अंतर के बारे में यह टिप्पणी दी गई है कि ''भारत का व्यापार-संतुलन भी संभालने की ज़रूरत है। देश की अर्थव्यवस्था के विकास में बाधा आ रही है क्योंकि आयात का पलड़ा भारी है। ऊर्जा क्षेत्र पर भी उद्योगों में बने माल (पूंजीगत माल और औद्योगिक क्षेत्र में बनाए गए कलपुर्जे आदि) पर अधिक ख़र्च करना पड़ता है। देश के आयात-निर्यात में संतुलन बनाने के लिए इसमें बड़ी मात्रा में निर्मित वस्तुओं को शामिल किए जाने की ज़रूरत है। देश को सिर्फ़ कच्चे माल का निर्यात और तैयार माल का आयात ही बढ़ाने और घटाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सेवाओं का निर्यात बढ़ाने की ज़रूरत है और ऐसा करके ही अंतर को पाटा जा सकता है। व्यापार लायक सेवाएं (आईटी आधारित सेवाएं) हालांकि तेज़ी से बढ़ रही हैं लेकिन उनकी वृद्धि की रफ़्तार बनाए रखना संभव नहीं होगा। इसीलिए घरेलू उद्योगों द्वारा तैयार माल का निर्यात बढ़ाने और आंतरिक बाज़ार के विस्तार की ज़रूरत है, ताकि आयात के अनुसार संतुलन बनाया जा सके। यही कारण है कि देश में बड़ी मात्रा में औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने और उसकी लागत प्रतियोगी रखने तथा गुणवत्ता बढ़ाने की ज़रूरत है।''

योजना आयोग की इन टिप्पणियों के अनुसार देश से निर्यात बढ़ाने में निम्नलिखित बातें बहुत महत्वपूर्ण हो सकती हैं:

- निर्यात में लघु एवं मझोले उद्यमों के मंत्रालय का योगदान बढ़ाना।
- निर्यात संवर्धन में निर्माता तथा इंजीनियरिंग माल की भूमिका।
- नयी निर्माता नीति।
- सेवा निर्यात संभावित क्षमता का उपयोग।
- विशेष आर्थिक क्षेत्रों का निर्यात निष्पादन।

लघु तथा मध्यम उद्योग क्षेत्र का निर्यात बढ़ाने में योगदान

इसके अनेक कारण बताए जा सकते हैं लेकिन साथ ही, यह भी सच है कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) ने भारत से निर्यात संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के मसौदे के अनुसार हाल ही में घोषित निर्माता नीति के अनुसार यूरोपीय देशों की आर्थिक स्थिति लगातार निम्न हो रही है जबकि भारत की विकास दर तुलनात्मक रूप से स्थिर है। दुनिया के विभिन्न भागों में लोकतांत्रिक आंदोलन चल रहे हैं और सरकारों में परिवर्तन हो रहे हैं। ऐसे हालात में विदेशी मुद्रा विनिमय दर और फुटकर व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में उतार-चढ़ाव जारी है तथा बीपीओ, केपीओ, आईटी, आईटीईएस आदि में भारतीय सेवाओं की मांग देश-विदेश में बढ़ रही है और ये कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिनके चलते भविष्य में एमएसएमई के उत्पादों का निर्यात बढ़ सकता है।

एमएसएमई के निर्यात निष्पादन पर एक नजर

भारत के औद्योगिक क्षेत्र के विकास में लघु उद्योग क्षेत्र का योगदान काफ़ी ज्यादा रहा है। इस समय एमएसएमई खंड में क़रीब दो करोड़ साठ लाख इकाइयां हैं और सघउ में उनका योगदान आठ प्रतिशत है जो देश के कुल औद्योगिक उत्पादन के 45 प्रतिशत के बराबर है। इनमें क़रीब 8,000 प्रकार के माल तैयार किए जाते हैं जिनमें से 40 प्रतिशत निर्यात किया जाता है।

कृषि निर्यात

● संदीप दास

साधारण शुरुआत के बाद भारत का कृषि निर्यात पिछले एक दशक में, तेज़ी से बढ़ा है। सरकार ने पैकेज़िंग, सुरक्षा और कॉपीराइट के संरक्षण को लेकर जो अनेक क़दम उठाए हैं, उनसे भविष्य में निर्यात में और भी वृद्धि होने की संभावना है।

कृषि के अनुकूल मौसम और परिस्थितियों की वज़ह से भारत में अनेक प्रकार की फ़सलें ली जाती हैं। प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से समृद्ध होने के कारण भारत में नारियल, आम, केला, दूध और डेयरी उत्पाद, काजू, दालें, अदरक, हल्दी और काली मिर्च की विश्व में सर्वाधिक पैदावार होती है। भारत चावल, गेहूं, चीनी, कपास, फलों और सब्ज़ियों के मामले में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है।

अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण क्षेत्र होने के नाते कृषि क्षेत्र में देश की कुल कामकाजी जनसंख्या के 65 प्रतिशत लोगों को रोज़गार मिलता है। इसके साथ ही, यह क्षेत्र कपड़ा, पटसन और चीनी जैसे उद्योगों का आधार भी बना हुआ है। जीडीपी में कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों का योगदान लगभग 17 प्रतिशत है। देश के समस्त निर्यात का लगभग एक-चौथाई कृषि उत्पादों का होता है।

उच्च मूल्य वाले खाद्य उत्पादों के निर्यात के महत्व को देखते हुए सरकार ने 1985 में, संसद में एक कानून बनाकर 'कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण' (एपेडा) नाम के विशिष्ट निकाय का गठन किया था। यह निकाय वाणिज्य मंत्रालय के अधीन काम करता है। प्रारंभिक वर्षों में इसका फ़ोकस मुख्य रूप से विपणन, पैकेज़िंग और प्रशिक्षण के क्षेत्रों में निर्यातकों को मदद देने पर था। साथ ही निर्यात के लिए बेहतर उत्पादों की पहचान करने पर ज़ोर दिया गया। जिन प्रमुख उत्पादों की पहचान की गई उनमें मांस, फल और सब्ज़ियां, बासमती चावल आदि शामिल हैं।

1990 के दशक के मध्य से विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूओओ) की व्यवस्था और वैश्वीकरण की शुरुआत से स्वच्छता के मानक, बाज़ार की सुविधा, गैर-शुल्क बाधाएं आदि विश्व व्यापार में काफी प्रचलित हो गईं हैं। इसके अतिरिक्त, ज़ोखिम विश्लेषण महत्वपूर्ण नियंत्रण बिंदु (हैज़ार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल प्वांइट– एचसीसीपी) भी विश्व बाज़ार में काफी प्रचलित हो गई है। इसका सरोकार मुख्य रूप से खाद्य सुरक्षा से है। सरकार को आयातक देशों के खाद्य उत्पादों के कठोर गुणवत्ता मानकों को पूरा करने के लिए अपने नियम-क़ायदों और तौर-तरीक़ों में सुधार करना पड़ा है। एपेडा के अध्यक्ष असित त्रिपाठी का कहना है कि फल और सब्ज़ियों, डेयरी और पॉल्ट्री उत्पादों, पुष्प, कृषि और अन्न सहित 14 उत्पादों के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों का पालन करने वाले उद्योगों की स्थापना के लिए संभाव्यता अध्ययन करने से लेकर निर्यात को बढ़ावा देने में सरकार निर्णायक भूमिका निभा रही है।

1986-87 के दौरान केवल ₹ 582 करोड़ के निर्यात से शुरू होकर एपेडा के माध्यम से होने वाला कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का निर्यात कई गुना बढ़कर 2010-11 में 40,242 करोड़ ₹ तक पहुंच गया है। इस वित्त वर्ष में निर्यात में और भी वृद्धि होने की आशा है। एपेडा के अलावा भी मसाला बोर्ड, नारियल विकास बोर्ड, तंबाकू बोर्ड, कॉफी बोर्ड, रबर बोर्ड जैसी संस्थाएं भी देश के कृषि निर्यात में उल्लेखनीय योगदान कर रही हैं।

प्रमुख संवाहक : बासमती

पिछले एक दशक में एपेडा के माध्यम से होने वाली वस्तुओं के निर्यात में जो वृद्धि हुई है, उसमें बासमती चावल की भूमिका निर्णायक रही है। सुगंधित उत्कृष्ट चावल की यह प्रजाति मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में उगाई जाती है। सरकार ने खाड़ी देशों (मुख्यत: सऊदी अरब और इरान), यूरोप और अमरीका में इस चावल को ब्रांड के रूप में लोकप्रिय बनाने के लिए काफी काम किया है। यही कारण है कि 2010-11 में इन देशों में चावल का निर्यात बढ़कर 20 लाख टन तक पहुंच गया।

भुगतान संतुलन की प्रवृत्तियां और चुनौतियां

● जोमोन मैथ्यू

भुगतान संतुलन (बीओपी) खाते किसी देश और शेष विश्व के बीच सभी मौद्रिक क़ारोबार का लेखा-जोखा होता है। दूसरे शब्दों में, यह एक निर्दिष्ट अवधि में एक देश और अन्य सभी देशों के बीच समस्त लेन-देन का अभिलेख है। यदि किसी देश को धन मिला है, तो वह ऋण कहलाता है। इसी प्रकार जब कोई देश धन देता है अथवा भुगतान करता है, इसे डेबिट अर्थात नामे डालना कहते हैं। सैद्धांतिक तौर पर यह कहा जाता है कि भुगतान संतुलन (बीओपी) सदैव शून्य होना चाहिए। इसका अर्थ होता है कि परिसंपत्ति अथवा ऋण और देनदारियां अथवा नामे राशि, एक-दूसरे के बराबर होनी चाहिए। परंतु हक़ीक़त में ऐसा विरले ही होता है और इसलिए किसी देश का भुगतान संतुलन आमतौर पर घाटे अथवा अतिशेष में होता है। ऋणात्मक भुगतान संतुलन का अर्थ होता है कि देश से बाहर जाने वाला धन आने वाली राशि से कम है। इसकी विपरीत स्थिति भी इसी श्रेणी में आती है।

भारतीय अर्थव्यवस्था नाममात्र के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के लिहाज़ से विश्व की नौवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और क्रयशक्ति की समानता के आधार पर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। 2000 के दशक के प्रारंभिक वर्षों में भारत का भुगतान संतुलन बहुत सुदृढ़ था, परंतु वैश्विक आर्थिक संकट से समग्र भुगतान संतुलन की सुचारू वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। किसी भी देश की अंतरराष्ट्रीय भुगतान संतुलन की स्थिति उसकी आर्थिक शक्ति और कमज़ोरियों को प्रतिबिंबित करती है। विकासशील देशों की एक पुरानी समस्या है– घाटा, और भारत भी इसका अपवाद नहीं है। अतः यह आवश्यक है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के भुगतान संतुलन की समग्र स्थिति पर नज़र डाली जाए। भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक वित्तीय संकट और हाल की अंतरराष्ट्रीय घटनाओं से प्रतिकूल रूप से प्रभावित है।

भुगतान संतुलन खातों का अर्थ

तमाम प्रकार के अंतरराष्ट्रीय लेन-देन को तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे– चालू खाता लेन-देन, पूंजी खाता लेन-देन और सरकारी बंदोबस्त संतुलन लेन-देन। चालू खाते में वे लेन-देन आते हैं जो आय और व्यय से संबंधित होते हैं। आमतौर पर ये खाते वस्तुओं और सेवाओं से जुड़े होते हैं। चालू खाते में मुख्यतः चार प्रकार के लेन-देन होते हैं, ये हैं– वस्तुओं का आयात-निर्यात, सेवाओं का आयात-निर्यात, अंतरराष्ट्रीय निवेश पर ब्याज का भुगतान और एकपक्षीय अंतरण।

पूंजी खाते में मुख्यतः परिसंपत्तियों के क्रय-विक्रय से संबंधित लेनदेन होता है। पूंजी खाते निम्नानुसार मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं– परिसंपत्तियों का क्रय-विक्रय, ऋण लेना और उसको चुकाना तथा मुद्रा के नियंत्रण के स्वरूप में परिवर्तन।

सरकारी बंदोबस्त संतुलन में सरकारों के बीच लेन-देन का लेखा-जोखा रखा जाता है। इसे भुगतान संतुलन को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

भुगतान संतुलन खाते की प्रवृत्तियां

पिछले दशकों में भारत के भुगतान खाते का विवरण तालिका में दिया गया है। यह देखा जा सकता है कि शेष विश्व के साथ भारत के लेन-देन का संतुलन दशक के पहले तीन वर्षों के दौरान कुल मिलाकर सुधार पर रहा है। कहा जा सकता है कि यह सकारात्मक प्रगति चालू खाता और पूंजी खाता के अतिशेष की बदौलत हुई। 2004-05 के बाद से देश के चालू खाते में घाटा बढ़ रहा है, जिससे यह पता चलता है कि देश का आयात हमारे निर्यात से अधिक है। चालू खाते में भारी घाटे के बावजूद, भारत के पूंजी खाते में 2007-08 तक सुधार होता रहा। पूंजी खाते के अतिशेष के कारण दशक की सबसे बड़ी भुगतान संतुलन राशि 2007-08 के दौरान देखी गई। इस वर्ष कुल ₹ 3,69,689 करोड़ का शेष रहा। परंतु दशक में पहली बार 2008-09 में भुगतान संतुलन का शेष नकारात्मक (ऋणात्मक) हो गया।

विदेश व्यापार नीति, 2009-14
वैश्विक मंदी से मुक़ाबले की व्यूहरचना

● ओ.पी. शर्मा

2008 की वैश्विक मंदी के कारण विश्व अर्थव्यवस्था की विकास दर घटी। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने विश्व अर्थव्यवस्था की विकासदर 2008 के लिए 3.7 प्रतिशत और 2009 के लिए 3.8 प्रतिशत आकलित की। इससे पूर्व विश्व अर्थव्यवस्था 2007 में 4.9 प्रतिशत की विकासदर से बढ़ी थी। वैश्विक मंदी 2008 का प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा। वित्त वर्ष 2003-04 में सरपट गति से दौड़ रही भारत की अर्थव्यवस्था की विकासदर 2008-09 में धीमी पड़ गई। भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धिदर 2006-07 में 9.7 प्रतिशत और 2007-08 में 9.1 प्रतिशत की तुलना में 2008-09 में घटकर 6.1 प्रतिशत (संशोधित अनुमान) रह गई।

वित्त वर्ष 2008-09 में सघउ घट जाने के बावजूद भारत विश्व में सबसे तेज़ गति से विकास करने वाली अर्थव्यवस्थाओं में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। वैश्विक मंदी 2008 का भारत के निर्यात पर बुरा प्रभाव पड़ा। भारत में वैश्विक मंदी ने सितंबर 2008 में दस्तक दी। मंदी के कारण अक्तूबर 2008 से सितंबर 2009 तक लगातार बारह महीनों में निर्यात में गिरावट आई। अमरीकी डॉलर में भारत की निर्यात वृद्धिदर 2007-08 में 28.9 प्रतिशत से घटकर 2008-09 में 3.6 प्रतिशत रह गई। निर्यात में कमी के साथ आयात वृद्धिदर भी घटी। आयात वृद्धि दर 2007-08 में 35.4 से घटकर 2008-09 में 14.4 प्रतिशत (अनंतिम) रह गई। भारत का व्यापार घाटा 2007-08 में 88,535 लाख डॉलर तथा 2008-09 में 1,19,055 लाख डॉलर (अनंतिम) था। आयात के घटने से व्यापार घाटा अधिक नहीं बढ़ सका। गौरतलब है जब निर्यात वृद्धिदर और आयात वृद्धिदर दोनों के घटने से व्यापार घाटा कम होता है तो यह अर्थव्यवस्था के लिए हर्षित होने वाली बात नहीं है। ऐसा होने पर घरेलू अर्थव्यवस्था में औद्योगिक गतिविधियां घट जाती हैं। जैसा कि भारत की अर्थव्यवस्था में देखने को मिल रहा है। भारत में निर्यात वृद्धि और आयात वृद्धि के घटने से कम हुए व्यापार घाटे का असर औद्योगिक उत्पादन के 2008-09 में 2.6 प्रतिशत तक गिर जाने के रूप में पड़ा है। विश्व अर्थव्यवस्था से मंदी के संकट के बादल 2009-10 के उत्तरार्द्ध से छंटने लगे। ऐसा विश्व के देशों द्वारा घोषित किए गए राहत पैकेज़ों के कारण संभव हो सका। भारत ने वैश्विक मंदी से निपटने के लिए महत्वपूर्ण क़दम उठाए। भारत सरकार ने 2008-09 की दूसरी छमाही में विशेष रूप से वैश्विक मंदी से निपटने के लिए निर्यात क्षेत्र और अन्य प्रभावित क्षेत्र की मदद के लिए तीन राहत पैकेज़ घोषित किए।

वैश्विक मंदी 2008 की सबसे अधिक निर्यात क्षेत्र पर मार के माहौल में भारत के केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री आनंद शर्मा ने 27 अगस्त, 2009 को पंचवर्षीय विदेश व्यापार नीति, 2009-14 घोषित की जिसमें वैश्विक मंदी के मद्देनज़र सभी राहत उपायों पर विशेष ज़ोर दिया गया है।

प्रमुख लक्ष्य

विदेश व्यापार नीति के प्रमुख लक्ष्य निम्नलिखित हैं:

- विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) का तात्कालिक लक्ष्य निर्यात में गिरावट को संभालना और इसे वृद्धि के मार्ग पर लाना था।
- वैश्विक मंदी 2008 से प्रभावित हुए क्षेत्रों को अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराना।
- निर्यात की वार्षिक वृद्धिदर को 2009-10 में 15 प्रतिशत तक ले जाना ताकि मार्च 2011 तक देश का निर्यात 200 अरब डॉलर हो जाए।
- वर्ष 2014 तक देश का निर्यात 25 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धिदर से बढ़ाना तथा वस्तुओं और सामानों का निर्यात दोगुना करना।
- वर्ष 2020 तक अंतरराष्ट्रीय कारोबार में भारत की भागीदारी को दोगुना करना जो 2008 में 1.64 प्रतिशत था।

विदेशी व्यापार के अंतर्गत बदलाव निर्भरता के निहितार्थ

● चंद्रकांत भूपाल पाटील

विदेशी व्यापार किसी देश की अर्थव्यवस्था के सामाजिक-आर्थिक विकास की जीवनरेखा है। यह वर्तमान में सबसे बड़ा और सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला क्षेत्र है। इसके ज़रिये कई देश अपने तथा दूसरे देशों के विशिष्ट संसाधनों का समुचित उपयोग करके बड़े पैमाने की उत्पादन तथा तक़नीकी जानकारी का लाभ उठा सकता है। विदेशी व्यापार के उचित नियमन व नियंत्रण से उत्पादन, रोज़गार, आय, क़ीमत, औद्योगीकरण से देश के आर्थिक विकास पर वांछित प्रभाव डाला जा सकता है।

हम आयोजन काल के दौरान भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित स्थिति तथा प्रवृत्तियों का विवेचन करेंगे। इसके मुख्य बिंदु निम्न हैं :

- विदेशी व्यापार का मूल्य
- विदेशी व्यापार की संरचना
- विदेशी व्यापार की दिशा

योजनाकाल में निर्यातों व आयातों का मूल्य

योजनाओं के दौरान भारत के निर्यात व आयातों में कैसा बदलाव हुआ है, इसे तालिका-1 से समझा जा सकता है।

तालिका से स्पष्ट है की योजनाओं के दौरान भारत के निर्यातों व आयातों में काफी वृद्धि हुई है। 1950-51 में निर्यात 1,269 लाख डॉलर के बराबर थे जो 1980-81 में बढ़कर 8,486 लाख डॉलर तथा 2008-09 में 1,68,704 लाख डॉलर हो गए। इसी अवधि में आयात 1,273 लाख डॉलर से बढ़कर 15,869 लाख डॉलर तथा 2,87,759 लाख डॉलर हो गए। ध्यान देने योग्य बात यह है कि देश को व्यापार शेष में लगातार भारी घाटा उठाना पड़ा है। वस्तुत: यदि हम भारत के विदेशी व्यापार आंकड़ों का अध्ययन करें तो पाएंगे कि 1949-50 से 2007-08 की अवधि में केवल दो वर्ष ही ऐसे थे जब व्यापार शेष में अधिकोष था। यह वर्ष थे– 1972-73 तथा 1976-77 जब भारत को क्रमश: 134 लाख डॉलर तथा 77 लाख डॉलर का अधिकोष प्राप्त हुआ। बाक़ी के सभी वर्षों में व्यापार शेष में घाटा हुआ। शोचनीय स्थिति इसलिए है क्योंकि व्यापार घाटा लगातार बढ़ता गया है। वस्तुत: छठी पंचवर्षीय योजना (1980-81 से 1984-85) में औसतन 5,985 लाख डॉलर वार्षिक घाटा हुआ। सातवीं योजना में यह घाटा औसतन 5,669 लाख डॉलर वार्षिक था। 1990-91 में 1989-90 की अपेक्षा, आयातों में 13.5 प्रतिशत वृद्धि हुई जबकि निर्यातों में वृद्धि 9.2 प्रतिशत थी। इससे व्यापार घाटा बढ़कर 5,932 लाख डॉलर हो गया। परंतु सरकार 1991-92 में आयातों पर कड़े नियंत्रण लगाए जिससे डॉलर के रूप में आयातों के मूल्य में तेज़ी से गिरावट आई और व्यापार शेष में घाटा कम होकर 1,546 लाख डॉलर रह गया। परंतु आयातों के मूल्य में गिरावट से औद्योगिक गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। औद्योगिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने 1992-93 में आयात उदारीकरण के रूप से व्यापक क़दम उठाए जिससे आयात व्यय में वृद्धि हुई और व्यापार शेष में घाटा बढ़कर 3,345 लाख डॉलर हो गया। इसे तालिका में देखा जा सकता है। अगले तीन वर्षों (1993-94 से 1995-96) के दौरान निर्यात-आयात में काफी वृद्धि हुई। यद्यपि आयातों में भी वृद्धि हुई तथापि कुल मिलाकर स्थिति में सुधार हुआ तथा आठवीं योजना में व्यापार शेष में औसत घाटा 3,456 लाख डॉलर रह गया जो छठी और सातवीं दोनों योजनाओं की तुलना में कम था। परंतु नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) में स्थिति बिगड़ गई और व्यापार शेष में औसत घाटा बढ़कर 8,416 लाख डॉलर हो गया।

हमारे विदेश व्यापार की दशा-दिशा

● प्रांजल धर

किसी भी देश के आर्थिक विकास में विदेश व्यापार का अहम योगदान होता है। उदारीकरण और भूमंडलीकरण के वर्तमान दौर में दुनिया की सभी अर्थव्यवस्थाएं आपस में अधिकाधिक जुड़ने की ओर अग्रसर होने लगी हैं। अधिकतर देश अपने व्यापार की संरचना, मात्रा और दिशा को लाभकारी बनाने के लिए जहां एक ओर पारंपरिक बाज़ारों को जारी रखना चाहते हैं, वहीं दूसरी ओर वे नये-नये बाज़ारों की तलाश भी करते हैं ताकि अंतरराष्ट्रीय बाज़ार के कुल व्यापार में अपना हिस्सा बढ़ाया जा सके। उदाहरण के लिए, वर्तमान दौर में भारत के निर्यात कुछेक बाज़ारों में संकेंद्रित हैं। यह यूरोप में 36 प्रतिशत, अमरीका में 18 प्रतिशत तथा जापान में 16 प्रतिशत है। क्योंकि हालिया वैश्विक वित्तीय संकट का भारत के इन परंपरागत बाज़ारों पर सर्वाधिक बुरा प्रभाव पड़ा है, इसलिए भारतीय निर्यातों की मांगों में गिरावट आई है। मांग में गिरावट की समस्या के निदान के लिए विदेश व्यापार नीति (2009-14) में फ़ोकस बाज़ार योजना के तहत 26 नये बाज़ार शामिल किए गए हैं। इनमें से 16 नये बाज़ार लैटिन अमरीका में तथा 10 एशिया-ओसियाना में हैं। इनमें दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील तथा मेक्सिको भी शामिल हैं। यह माना जाता है कि निर्यात बाज़ारों में इस तरह के विविधीकरण का निर्यात आय पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

विदेशी व्यापार की संरचना का अर्थ आयात और निर्यात के स्वरूप से होता है। किसी भी देश के विदेशी व्यापार की संरचना हमें उस देश की विकास प्रक्रिया के साथ-साथ उसके आर्थिक विकास के स्तर के बारे में भी बताती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी देश के विदेशी व्यापार की संरचना पर ध्यान देने से यह स्पष्ट होता है कि वह खाद्यान्नों और कच्चे पदार्थों का आयात तथा विनिर्मित वस्तुओं, मशीनों और संयंत्रों का निर्यात करता है तो हम दावे के साथ इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि वह देश आर्थिक विकास का ऊंचा स्तर प्राप्त कर चुका है। इसके विपरीत यदि कोई देश चाय, कॉफी, जूट या चीनी आदि वस्तुओं का निर्यात करता है तथा बदले में पूंजीगत उपकरणों और विनिर्मित सामग्रियों का आयात करता है तो निश्चित रूप से यह कह सकना तार्किक होगा कि यह देश वर्तमान में अल्पविकसित है और इसमें औद्योगिक विकास की प्रक्रिया अभी चल ही रही है।

भारतीय निर्यातों की संरचना का अध्ययन हमें बताता है कि समय के साथ निर्यातों में कृषि व उससे संबद्ध वस्तुओं का महत्व घटता गया है तथा विनिर्मित वस्तुओं का महत्व बढ़ता गया है। उदाहरण के लिए कुल निर्यातों में कृषि व संबद्ध वस्तुओं का हिस्सा जहां 1960-61 में 44 प्रतिशत से भी ज्यादा था, वहीं वर्ष 2009-10 में यह घटकर सिर्फ़ दस प्रतिशत रह गया है। इसके विपरीत इसी अवधि में विनिर्मित वस्तुओं का हिस्सा 45 प्रतिशत से बढ़कर 67 प्रतिशत हो गया है। इससे ज़ाहिर होता है कि एक पिछड़ी हुई व प्राथमिक वस्तुओं पर आधारित अर्थव्यवस्था के स्थान पर अब भारत में एक प्रगतिशील औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहा है।

निर्यात के बाद अगर हम अपने देश के विदेशी व्यापार के दूसरे पहलू यानी आयात पर निगाह डालें तो कुछ महत्वपूर्ण प्रवृत्तियां उभरती हैं। अर्थव्यवस्था के आंकड़ों को सरल बनाने के लिए भारत के आयातों को चार वर्गों में बांटा जाता है। इनमें से पहला वर्ग खाद्य-उपभोग पदार्थों का और दूसरा वर्ग कच्चे पदार्थों तथा मध्यवर्ती विनिर्मित वस्तुओं का है। तीसरा तथा चौथा वर्ग क्रमशः पूंजीगत वस्तुओं तथा अवर्गीकृत (अन्य) वस्तुओं से संबंधित है। समय के साथ इन चार वर्गों के सापेक्षिक महत्व में अनेक परिवर्तन हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन तो यह है कि खाद्य उपभोग वस्तुओं के आयात में तेज़ गिरावट आई है। अनाज और अनाज उत्पादों का हिस्सा, कुल आयात में जहां 1960-61 में लगभग सोलह फीसदी था वहीं वर्ष 2009-10 में यह लगभग शून्य हो गया। इसी प्रकार कच्चे पदार्थों व मध्यवर्ती विनिर्मित वस्तुओं के हिस्से में तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है। वास्तव में इसका कारण पेट्रोलियम व स्नेहक तथा रत्न, मोती व बहुमूल्य पत्थरों का बढ़ता आयात है। आज स्थिति यह है कि, वर्ष 2009-10 में पेट्रोलियम तेल और स्नेहक के आयात पर हमारे कुल आयात व्यय का तीस प्रतिशत से भी ज्यादा भाग ख़र्च होता है।

इब्सा समूह के बीच बढ़ता व्यापार

● गिरीश चंद्र पांडे

इब्सा यानी भारत, ब्राज़ील तथा दक्षिण अफ्रीका के देशों का एक समूह जिसमें दक्षिण-दक्षिण सहयोग तथा आपसी आदान-प्रदान को प्रोत्साहन देने हेतु त्रिपक्षीय विकास संबंधी पहल की गई है। इन देशों के विदेशमंत्री 6 जून, 2003 को ब्राज़ील की राजधानी ब्रासिला में मिले थे और उन्होंने आपसी विचार-विमर्श के बाद ब्रासिला घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए और इब्सा डायलॉग फोरम की नींव रखी ताकि वे आपसी हित के मुद्दों पर नियमित तौर पर विचार-विमर्श करें। इस फोरम के उद्देश्यों में तीनों देशों के मध्य दक्षिण-दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देने, अंतरराष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सहयोग के साथ-साथ समान दृष्टिकोण विकसित करने, ग़रीबी उन्मूलन तथा सामाजिक विकास, सूचनाओं, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी एवं दक्षता का आदान-प्रदान सहित व्यापार तथा निवेश अवसरों को बढ़ावा देना था। बाद में 2006 में इस डायलॉग फोरम का उन्नयन कर इसे शिखर सम्मेलन स्तर का रूप दिया गया और उसी कड़ी में अब तक इब्सा के 5 शिखर सम्मेलन आयोजित हो चुके हैं। पहला शिखर सम्मेलन सितंबर 2006 में ब्राज़ील की राजधानी ब्रासिला में संपन्न हुआ था जबकि पांचवां शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया में अक्तूबर 2011 में आयोजित किया गया था। इब्सा देशों के मध्य अब तक स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा रक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में 16 क्षेत्रीय कार्यकारी दलों की स्थापना हो चुकी है। इससे पहले कि भारत के ब्राज़ील तथा दक्षिण अफ्रीका के साथ व्यापारिक संबंधों पर नज़र डालें, यहां पर हम पहले इब्सा के 5वें शिखर सम्मेलन के दौरान की गई पहलक़दमियों का संक्षिप्त तौर पर उल्लेख करना चाहेंगे।

5वां इब्सा शिखर सम्मेलन (अक्तूबर 2011) : दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया में भारत, ब्राज़ील तथा दक्षिण अफ्रीका (इब्सा) का 5वां शिखर सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार हेतु सहयोग बढ़ाने के संकल्प के साथ संपन्न हुआ। सम्मेलन में वैश्विक, क्षेत्रीय तथा द्विपक्षीय मुद्दों के साथ वैश्विक और आर्थिक तथा राजनीतिक उतार-चढ़ाव पर चिंता व्यक्त करते हुए खासतौर पर व्यापार क्षेत्र में आपसी संबंधों की मज़बूती पर बल दिया गया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने विकसित देशों में आर्थिक संकट का विकासशील देशों पर पड़ने वाले असर की आशंका जताते हुए मौजूदा अंतरराष्ट्रीय चुनौतियों से निपटने हेतु संयुक्त राष्ट्र और दूसरे बहुपक्षीय वैश्विक संस्थाओं यथा– विश्व बैंक तथा आईएमएफ में व्यवस्थागत सुधार पर चर्चा की ताकि मौजूदा वैश्विक चुनौतियों का प्रभावी ढंग से मुक़ाबला करने में सक्षम हों। उल्लेखनीय है कि अभी विश्व बैंक में जहां अमरीका का प्रभुत्व कायम है, वहीं आईएमएफ में फ्रांस का। प्रधानमंत्री ने पुन: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार पर ज़ोर दिया ताकि यह आज की वास्तविकताओं के अनुरूप हो और इसे वैश्विक चुनौतियों का मुक़ाबला करने में अधिक प्रतिनिधिमूलक और प्रभावी बनाया जा सके। स्मरण रहे कि न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र के 66वें अधिवेशन के संबोधन में भी प्रधानमंत्री ने यही विचार व्यक्त किए थे। इस अधिवेशन में इब्सा मंत्रियों की इतर बैठक भी हुई थी और बैठक के बाद इब्सा मंत्रालयीय संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया था। वक्तव्य में इब्सा के इन तीनों देशों को एक साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मिली अस्थायी सदस्यता को ऐतिहासिक मौका बताते हुए दक्षिण के इन तीनों प्रजातांत्रिक देशों ने निरंतर सहयोग की प्रतिबद्धता व्यक्त की। वैश्विक शांति और सुरक्षा में अपनी आवाज़ को और बुलंद करने का आह्वान किया ताकि राजनीतिक, आर्थिक तथा वित्तीय संरचना को और अधिक समावेशी, प्रतिनिधिमूलक तथा वैध बनाया जा सके। उल्लेखनीय है कि अभी इब्सा के ये तीनों देश सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं लेकिन तीनों स्थायी सदस्यता चाहते हैं। तीनों देशों ने दक्षिण-दक्षिण सहयोग की महत्ता पर भी प्रकाश डाला। दक्षिण-दक्षिण का तात्पर्य विकासशील देशों के बीच संसाधनों, प्रौद्योगिकी तथा ज्ञान का आपसी आदान-प्रदान करना शामिल है।

प्रधानमंत्री ने तीनों देशों द्वारा विश्व के जटिल क्षेत्रीय व अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर अपनाई गई एकजुटता पर खुशी ज़ाहिर की और इब्सा की अंतरराष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर किया। उल्लेखनीय है कि इब्सा देशों के बीच मई 2008 से नौसेना अभ्यास प्रारंभ हुआ है। 2010 में दक्षिण अफ्रीकी शहर डरबन के समुद्र तट में तीनों देशों ने नौसैनिक अभ्यास कर अपने-अपने पोतों तथा मिसाइलों का प्रदर्शन किया। इसके अलावा, समय-समय पर रक्षा अधिकारियों के बीच बैठकें होती रहती हैं।

विश्व कारोबारी भाषा बनने की ओर अग्रसर हिंदी

● हरेंद्र प्रताप सिंह

अनिवासी भारतीय और सरकार को प्रवासी भारतीय सम्मेलनों में भारत के कारोबार को बढ़ाने और अन्य समस्याओं पर चर्चा के साथ-साथ भारत की कारोबारी भाषा के रूप में हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं को भी विकसित करने पर सार्थक बहस करानी चाहिए और फिर उस दिशा में कारगर पहल करनी चाहिए

हिंदी की एक बड़ी खासियत है। थोड़ा सा अनुकूल अवसर मिलते ही वह पहाड़ी नदी की तरह झर-झर उछलती-कूदती आगे बढ़ जाती है। आज़ादी हासिल होने से लगभग सौ साल पहले और फिर आज़ादी के 65 साल के दौरान हिंदी का विकास इसी तरह अपनी गाथा रचता-बुनता रहा है। देश-विदेश में तमाम प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद अनुकूल वातावरण की एक छोटी-सी आशा उसमें एवरेस्ट की ऊंचाई जैसे जोश का संचार भर देती है। देश में राष्ट्रीय राजमार्ग का जाल बुन चुकी अंग्रेज़ी के समकक्ष हिंदी समतल क्षेत्र में पगडंडी पर और पहाड़ी क्षेत्र में ट्रैकिंग करती हुई आगे बढ़ रही है। इस ओर विदेशी उत्सुकता लगातार बढ़ी है। मीडिया के सभी साधनों ने देश-विदेश में हिंदी का परचम लहराने में जी-तोड़ मेहनत की है। समाचार-पत्र, पर्चे, पत्रिका, रेडियो, टेलीप्रिंटर, टेलीविजन, सिनेमा, कंप्यूटर ने हिंदी की सीमाओं को भूमंडलीय विस्तार दिया है। विशेषकर भारतीय सिनेमा की लोकप्रियता ने हिंदी की सेहत को उन दुर्गम क्षेत्रों में भी बेहतर बनाया है, जहां वह लंबे समय से अनजानी बनी हुई थी। बहरहाल, विश्व पटल पर भारत की मज़बूत बनती आर्थिक पकड़ ने हिंदी के लिए अब विश्व कारोबारी भाषा बनने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है।

पिछले वर्ष हिंदी सिनेमा के दो सदाबहार हीरो देवानंद और शम्मी कपूर भौतिक सृजन-संसार से जुदा हो गए। उनकी फिल्मों के हिंदी संवाद और गानों ने बीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में गली-कूचे से लेकर विश्व समारोहों तक में हिंदी को गुंजायमान रखा। बीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध और इक्कीसवीं सदी के पूर्वार्द्ध में दो और भारतीय सितारों अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान का जादू हिंदी पट्टी में सिर चढ़ कर बोलता रहा। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, आमिर खान, संजय दत्त, अक्षय कुमार, सलमान खान, विद्या बालन सरीखे सितारों ने हिंदी को लोकप्रियता दिलाने के साथ-साथ इसके कारोबारी महत्व को भी नया रास्ता दिखाया। कारोबार के क्षेत्र में वॉलीबुड की सफलता में हिंदी की भूमिका अविस्मरणीय है। रेडियो तो बीसवीं सदी के पूर्वार्द्ध से ही हिंदी को लगातार लोकप्रिय बना रहा है, लेकिन टेलीविजन ने इक्कीसवीं सदी की शुरुआत में हिंदी की परिधि को बढ़ाने में अधिक योगदान करना शुरू किया है। ताज़ा उदाहरण है- 'बिग बॉस' जिसमें एंड्रयू साइमंड्स जैसे ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर से लेकर अनेक विदेशी मेहमान तक हिंदी रटते-सीखते नज़र आए। ज़ाहिर है कि बिग बॉस जैसे रियल्टी शो और कलर्स सरीखे अन्य चैनलों के लोकप्रिय धारावाहिकों की बड़ी कारोबारी सफलता में हिंदी की भूमिका 'बिग बॉस' की तरह है।

हिंदी अपनी बढ़ती भूमिका निभाने के लिए तैयार है- देश के अंदर और बाहर भी। द *इकॉनोमिक टाइम्स* और *बिजनेस स्टैंडर्ड* जैसे अंग्रेज़ी के सुस्थापित बिजनेस अख़बारों का स्वतंत्र रूप में हिंदी में निकलना एवं सफलता से चलना हिंदी के कारोबारी भाषा के रूप में फूलने-फलने का संकेत है। हिंदी में द *इकॉनोमिक टाइम्स* तो नयी दिल्ली से प्रकाशित होता है, लेकिन *बिजनेस स्टैंडर्ड* हिंदी में दिल्ली के साथ-साथ कोलकाता, चंडीगढ़, पटना, भोपाल, मुंबई, रायपुर और लखनऊ भी निकलता है। *बिजनेस स्टैंडर्ड* स्वयं को 'भारत का पहला संपूर्ण हिंदी आर्थिक अख़बार' कहने का दावा भी करता है। हालांकि हिंदी के तक़रीबन सभी प्रमुख समाचार-पत्र लंबे समय से कारोबारी समाचारों को प्रमुखता देते रहे हैं तथा इसके लिए अलग से पृष्ठ प्रकाशित करते रहे हैं। भारत के प्रमुख हिंदी समाचार-पत्रों की कुछ प्रतियां विदेश भी जाती हैं।

विदेश व्यापार

बिहार से लीची निर्यात की संभावनाएं

● रवीन्द्र कुमार ओझा

पिछले तीन दशकों से कृषि उत्पादों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। विश्लेषण करने पर पता चलता है कि जहां कुछ उत्पादों के मूल्यों में अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में गिरावट के कारण निर्यात आय में कमी हुई है वहीं कुछ उत्पादों के मूल्यों में बढ़ोतरी हो रही है और साथ ही, उनकी मांग भी वैश्विक बाज़ार में बढ़ रही है- बागवानी उत्पाद विशेष रूप से उल्लेखनीय है।

भारत की जलवायु एवं मिट्टियों की विविधता बागवानी उत्पादों की उत्पादन एवं निर्यात के लिए अत्यंत अनुकूल है। उल्लेखनीय है कि बागवानी उत्पाद, जिसका उत्पादन केवल 7-8 प्रतिशत कृषियोग्य भूमि पर किया जाता है, का कृषि आय में योगदान 28-30 के प्रतिशत के लगभग है, वहीं कुल कृषि निर्यात में योगदान 55 प्रतिशत से भी अधिक है। बागवानी उत्पाद, जिसमें फल एवं सब्जियां महत्वपूर्ण हैं, का कृषि निर्यात में योगदान 5 प्रतिशत से भी अधिक है। भारत में फलों के उत्पादन एवं निर्यात की अपार संभावनाएं हैं क्योंकि वैश्विक बाज़ार में इनके मूल्यों में बढ़ोतरी हो रही है और साथ ही विकसित देशों में लगातार मांग बढ़ रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत की जिसे अधिकतर राज्यों ने बागवानी उत्पादों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्राथमिकता दी है। बिहार सरकार भी बागवानी उत्पादों विशेष रूप से फलों के उत्पादन को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। बिहार में विभिन्न प्रकार के फलों का उत्पादन होता है, जिनमें लीची, आम, केला आदि विशेषरूप से उल्लेखनीय हैं। अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में भी इनकी मांग है।

भारत में लीची का उत्पादन लगभग 55,000 हेक्टेयर क्षेत्र में होता है, जबकि वार्षिक उत्पादन 3.5-4.0 लाख टन के बीच है जो कुल फल उत्पादन का लगभग 1 प्रतिशत है। उल्लेखनीय है कि बिहार में लीची का उत्पादन 2.0-2.25 लाख टन के बीच है और इस प्रकार कुल लीची उत्पादन का लगभग 60-70 प्रतिशत बिहार में ही उत्पादित किया जाता है। लीची के अन्य प्रमुख उत्पादक राज्य हैं : उत्तराखंड, त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश आदि।

इस संदर्भ में विशेषरूप से उल्लेखनीय है कि बिहार के तीन जिले– मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण और समस्तीपुर जिसकी सीमाएं आपस में लगती हैं का भारत के कुल लीची उत्पादन में योगदान लगभग आधे से भी अधिक है। लीची की उत्पादकता में बढ़ोतरी हुई है, किंतु इसके अंतर्गत क्षेत्र में धीरे-धीरे गिरावट आ रही है, जो अत्यंत चिंता का विषय है।

विश्व में लीची के प्रमुख उत्पादक देशों में चीन, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, थाईलैंड, इजराइल, वियतनाम, इंडोनेशिया, संयुक्त राज्य अमरीका, और ब्राज़ील हैं। विश्व में चीन के बाद भारत लीची का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। लीची मुख्यत: दो मौसम में तैयार होती है। मई से जुलाई एवं दिसंबर से फरवरी तक। भारत में लीची के विपणन का मौसम मई से जुलाई के बीच है। उल्लेखनीय है कि लीची की मांग मुख्य रूप से यूरोपीय एवं खाड़ी के देशों में है। लीची के भंडार के लिए अनुकूल तापमान 1-2 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसकी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए सल्फर उपचार किया जाता है।

लीची की प्रमुख किस्में

विश्व में लीची की 100 से अधिक प्रमुख किस्मों का उत्पादन होता है, जिसमें भारत में 15 किस्मों का वाणिज्यिक उत्पादन होता है। इसमें प्रमुख वाणिज्यिक किस्में हैं शाही, गुलाब सुगंधित, कलकतिया, मुजफ्फरपुर, चीनी, मुंबई ग्रीन, अगता बेदाना, बाद वाला बेदाना, देहरादून आदि। बिहार में उत्पन्न होने वाली प्रमुख वाणिज्यिक किस्में हैं, शाही, गुलाब सुगंधित, चीनी आदि जिनकी अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में भी अच्छी मांग है।

लीची का उत्पादन

भारत में लीची का कुल उत्पादन 1993-94 में 3.13 लाख टन था जो 1995-96 में बढ़कर 3.64 लाख टन और 1999-2000 में 4.33 लाख टन हो गया। 2005-06 में लीची का कुल उत्पादन 3.81 लाख टन है।

विशेष आर्थिक क्षेत्र

विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) का विनियमन करने वाली नीति क्या है?

भारत एशिया का पहला देश है जिसने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यात प्रक्रमण क्षेत्र (ईपीजेड) की प्रभाविकता को स्वीकार किया। एशिया का पहला ईपीजेड 1965 में कांडला में स्थापित किया गया था। नियंत्रण और स्वीकृति के अनेक केंद्रों, विश्वस्तरीय अधोसंरचना का अभाव और अस्थिर वित्तीय व्यवस्था के कारण जो कटु अनुभव हुए उनकी ख़ामियों को दूर करने और भारत में विदेशी निवेश बड़ी मात्रा में आकर्षित करने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) की नीति की घोषणा अप्रैल 2000 में की गई।

इस नीति का उद्देश्य उच्चस्तरीय अधो संरचना और केंद्र तथा राज्य के स्तर पर आकर्षक वित्तीय प्रोत्साहन देकर एसईजेड को देश के आर्थिक विकास का संवाहक बनाना था। भारत में 1 नवंबर, 2000 से लेकर 9 फरवरी, 2006 तक एसईजेड विदेश व्यापार नीति के प्रावधानों के अंतर्गत काम करते रहे। संबंधित कानूनों के माध्यम से उन्हें वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाता रहा।

निवेशकों में विश्वास पैदा करने और एक स्थायी एसईजेड नीति के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को व्यक्त एक व्यापक एसईजेड विधेयक, विभिन्न हितग्राहियों से विचार-विमर्श के बाद तैयार किया गया। इसका एक महत्वपूर्ण लक्ष्य आर्थिक गतिविधियों में सक्रियता लाकर रोज़गार के अधिकाधिक अवसरों का सृजन करना भी था। वाणिज्य और उद्योग मंत्री तथा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने इसके लिए देश के विभिन्न भागों में अनेक बैठकें कीं। विशेष आर्थिक क्षेत्र विधेयक, 2005 मई 2005 में संसद में पारित हुआ जिसे 23 जून, 2005 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली। एसईजेड के नियमों के प्रारूप पर व्यापक चर्चा हुई और इसे वाणिज्य विभाग की वेबसाइट पर भी डाला गया और लोगों के सुझाव और टिप्पणियां आमंत्रित की गईं। लगभग 800 सुझाव मिले। व्यापक परामर्श और चर्चा के बाद एसईजेड अधिनियम और एसईजेड नियम 10 फरवरी, 2006 से प्रभाव में आ गए। केंद्र तथा राज्य सरकारों से संबंधित विविध मामलों पर एकल खिड़की मंजूरी के लिए नियम-क़ायदों को काफी सरल बना दिया गया।

एसईजेड अधिनियम के क्या उद्देश्य हैं?

एसईजेड अधिनियम के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं :

- अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना,
- वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात का संवर्धन,
- स्वदेशी और विदेशी स्रोतों से निवेश संवर्धन,
- रोज़गार के अवसरों का सृजन और
- आधारभूत सुविधाओं का विकास।

आशा है कि इससे एसईजेड में स्वदेशी और विदेशी निवेश के प्रवाह में तेज़ी आएगी। अधोसंरचना विकास और उत्पादक गतिविधियों में भी निवेश बढ़ने की आशा है, जिससे आर्थिक गतिविधियों में तेज़ी आएगी और रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे।

एसईजेड अधिनियम में निर्यात संवर्धन और संबंधित अधोसंरचना के विकास में राज्य सरकारों की निर्णायक भूमिका को प्रतिपादित किया गया है। उन्नीस सदस्यों वाले एसईजेड अनुमोदन बोर्ड (बीओए) के माध्यम से, एसईजेड के अनुमोदन के लिए एकल खिड़की प्रणाली की व्यवस्था की गई है। राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा संस्तुत आवेदनों पर समय-समय पर भी वीओए द्वारा विचार किया जाता है। बोर्ड के सभी निर्णय आम सहमति से लिए जाते हैं।

एसईजेड के नियमों में विभिन्न श्रेणियों के एसईजेड के लिए अलग-अलग न्यूनतम भूमि की आवश्यकता का निर्धारण किया गया है। प्रत्येक एसईजेड को प्रोसेसिंग (प्रक्रमण) क्षेत्र और गैर-प्रक्रमण क्षेत्र में विभाजित किया गया है। प्रक्रमण क्षेत्र में निर्माण अथवा उत्पादन इकाइयां लगाई जाएंगी जबकि गैर-प्रक्रमण क्षेत्र में सहायक संरचना का निर्माण होगा। एसईजेड के नियमों में विशेष आर्थिक क्षेत्रों के विकास, परिचालन और संधारण के साथ-साथ उत्पादन इकाइयों की स्थापना और व्यापार करने के नियमों को सरल बनाया गया।

सौर लैमिनेटर

स्नातक प्रथम वर्ष के छात्र 21 वर्षीय अमनदीप ने सौर ऊर्जा से चलने वाली लैमिनेटिंग मशीन का निर्माण उस समय किया था, जब वे 12वीं कक्षा में पढ़ते थे। यह मशीन उसी तरह का परिणाम देती है, जिस तरह की बिजली से चलने वाली लैमिनेटिंग मशीन, बशर्ते कि धूप खिली हो। विद्युत आपूर्ति में बार-बार आने वाली रुकावटों से चिंता की अब कोई बात नहीं, क्योंकि इस मशीन को विद्युत की आवश्यकता ही नहीं होती।

अमनदीप का जन्म राजस्थान के गंगानगर जिले में अपने नाना के घर हुआ था। एक वर्ष बाद वे सपरिवार अपने दादा-दादी के पास पंजाब के मलोठ गांव आ गए। जहां उन्होंने तीसरी कक्षा तक शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद वे अपने माता-पिता के साथ सांगरिया गांव आ गए। छठी कक्षा तक उनका मन पढ़ाई में खूब लगता था परंतु उसके बाद भारत स्काउट और गाइड संगठन का सदस्य बन जाने से उनका मन पढ़ाई में कम लगने लगा। वे स्काउट की गतिविधियों में अधिक समय देने लगे और 2000 में राष्ट्रपति ने उन्हें उत्कृष्ट स्काउट का पुरस्कार प्रदान किया। उनके पिता एक पंजीकृत चिकित्सक (आरएमपी) हैं और वे जीवन बीमा निगम के एजेंट के रूप में भी काम करते हैं। उनकी मां एक गृहणी हैं और उनका छोटा भाई फार्मेसी स्नातक कर रहा है।

प्रारंभ

सन् 2000 में जब वे 10वीं कक्षा में थे, उन्होंने अपने विद्यालय की विज्ञान प्रदर्शनी में पहले से मौजूद एक परियोजना की अनुकृति तैयार कर प्रस्तुत की। परंतु जब उन्होंने प्रदर्शनी में अन्य छात्रों द्वारा निर्मित तमाम परियोजनाओं को देखा तो उन्हें बड़ी ग्लानि हुई कि उन्होंने एक ऐसी परियोजना प्रदर्शनी में रखी है जो मौलिक नहीं है। उन्होंने निश्चय किया कि अगली बार वे मौलिक परियोजना लेकर आएंगे।

एक दिन अपने एक मित्र के साथ वह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ की फोटोकॉपी कराने फोटो स्टेट की एक दुकान पर गए, परंतु बिजली न होने से काम नहीं हो सका। इसी से उनके मन में यह विचार कौंधा कि यदि सौर ऊर्जा से चलने वाला लैमिनेटर होता तो समय पर ही उनका लैमिनेशन का काम हो जाता।

2002 में जब वे 12वीं कक्षा के छात्र थे, उन्होंने जिला स्तर की एक विज्ञान प्रदर्शनी में भाग लिया, जहां उन्हें अपनी कल्पना को साकार रूप देने का अवसर मिला और उसका प्रोटोटाइप (नमूना) तैयार किया। पहले तो उन्होंने सौर कुकर और लैमिनेटर का बारीकी से परीक्षण कर उनकी कार्यप्रणाली समझने का प्रयास किया। लैमिनेटर के अंदर उष्मक तंतु (हीटिंग फिलामेंट) को देखकर उन्होंने सोचा कि यदि उसके स्थान पर काला डिब्बा (ब्लैक बॉक्स) लगाकर उसके चारों ओर दर्पण लगा दिए जाए तो लैमिनेशन के लिए सौर ऊर्जा के उपयोग का उनका उद्देश्य पूरा हो सकता है। इसकी पुष्टि के लिए उन्होंने एक छोटा-सा बॉक्स लेकर उसमें काला डिब्बा रखकर उस पर दर्पणों को फ़ोकस किया और फिर उसे धूप में रख दिया। कुछ देर के बाद उन्होंने तापमान देखा तो जैसी उन्होंने आशा की थी तापमान 40^0 सेल्सियस तक पहुंच चुका था, जोकि वातावरण के तापमान से अधिक था। इससे उनका उत्साह बढ़ गया और उन्होंने 100 वाट के बल्बों, रोलरों और लघु दर्पणों का उपयोग करते हुए बिजली से चलने वाले कुछ लैमिनेटर तैयार किए। उसके बाद उन्होंने सौर चालित लैमिनेटर तैयार किया जिसे उन्होंने राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री के समक्ष प्रदर्शित किया और प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। इसी के आधार पर उनका चयन नवंबर 2003 में देहरादून में लगी जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी के लिए किया गया। वे प्रदर्शनी में भाग लेने वाले उन 30 लोगों में से एक थे जिन्हें राष्ट्रपति की ओर से प्रशस्ति पत्र मिला।

दिसंबर 2003 में उन्होंने हैदराबाद में इन्टेल विज्ञान प्रतिमा खोज मेले में भाग लिया और प्रतियोगिता से बाहर होने के पूर्व वह पहले दो दौर में विजयी रहे।

जहां चाह वहां राह

स्वाद में बेजोड़ देसी बीज

● बाबा मायाराम

इन दिनों किसानों पर अभूतपूर्व संकट मंडरा रहा है। उनकी आत्महत्याओं का दौर चल रहा है। पिछले 16 वर्षों में ढाई लाख से ज्यादा किसान अपनी जान दे चुके हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश में प्रतिदिन 4 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। होशंगाबाद जिले में पिछले ढाई सालों में 7 किसान मर चुके हैं। हाल ही में वहां चार दिनों में तीन किसानों ने आत्महत्या कर ली है।

पर परंपरागत देसी बीजों की खेती करने वाले किसान आत्महत्या नहीं कर रहे हैं। जहां-जहां हरित क्रांति के नये बीजों के साथ भारी पूंजी और आधुनिक उन्नत खेती हो रही है वहां-वहां किसान आत्महत्या कर रहे हैं। जिस इलाक़े में आत्महत्याएं हुई हैं वह तवा बांध से सिंचित क्षेत्र था। वन क्षेत्र और असिंचित इलाक़ों में अब भी कहीं-कहीं देसी बीज प्रचलन में है। इसी तरह पड़ोसी जिले सतना में एक प्रयोगधर्मी किसान देसी बीजों से न केवल खेती कर रहा है बल्कि उनका संरक्षण-संवर्धन भी कर रहा है।

एक छोटे से गांव पिथौरागढ़ के किसान हैं बाबूलाल दाहिया। हाल ही मेरी उनसे मुलाक़ात हुई। जब मैंने उनके देसी धान का संग्रह देखा तो देखता ही रह गया। दीवार पर ब्लैकबोर्ड की तरह टंगे पॉलीथीन के पैक में अलग-अलग धान की किस्में अपना सौंदर्य बिखेर रही थीं। छोटी-छोटी डिब्बियों में रंग-बिरंगे धान के बीज बहुत सुंदर लग रहे थे।

गोबर से लिपे-पुते आंगन में कुछ धान की किस्मों के बंधे गुच्छे रखे थे जिसकी हाल ही में कटाई हुई थी। गीली बालियों से हल्की सोंधी खुशबू आ रही थी। कुछ महिलाएं हाथ की चक्की से उड़द की दाल बना रही थीं। दाहिया एक ऋषि की तरह देसी बीजों के गुणों का बखान कर रहे थे।

वैसे तो उनकी खेती-किसानी के साथ-साथ साहित्य में भी रुचि रही है। लेकिन जबसे उन्हें यह अहसास हुआ कि जैसे लोकगीत व संस्कृति लुप्त हो रही है, वैसे ही लोक अन्न भी लुप्त हो रहे हैं, तबसे उन्होंने इन्हें सहेजने और बचाने का काम शुरू किया है। अब वह गांव-गांव से देसी बीजों का संग्रह करते हैं और फिर उन्हें खेतों में हर साल उगाते हैं। उनका संरक्षण व संवर्धन करते हैं। यद्यपि वह मध्य प्रदेश के सतना जिले के हैं लेकिन होशंगाबाद के क़रीब होने के कारण उनके संग्रह में यहां के कई देसी बीज भी हैं। यहां के कठिया गेहूं, लल्लू (ललई) धान और ज्वार की कई किस्में उनके पास सुरक्षित हैं।

वह देसी बीजों के बारे में बताते हैं कि इनमें बहुत विविधता है। जैसे, गलरी धान गलरी पक्षी की आंख की तरह होता है। इसी तरह किसी धान का दाना सफेद होता है तो किसी का लाल। किसी का काला तो किसी का बैंगनी और किसी का मटमैला। कुछ धान के दाने पतले तो किसी के मोटे और कोई गोल तो किसी के दाने लंबे होते हैं। कुछ धान की किस्मों के पौधे हरे होते हैं तो किसी के बैंगनी। इनमें न केवल विविधता है बल्कि अलग-अलग रूप-रंग का अपना विशिष्ट स्वाद व सौंदर्य है। परंपरागत देसी धान की विविधता के कई किस्से-कहानियां जनश्रुतियों में मौजूद हैं।

बाबूलाल दाहिया के पास धान की 70 किस्में हैं जिसमें कुछ सुगंधित हैं।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए सुझाव

● मोहन धारिया

योजना का जनवरी 2012 विशेषांक हमने बारहवीं पंचवर्षीय योजना की दृष्टि पर केंद्रित किया था। किंतु एक विशेषांक के कलेवर में समूची पंचवर्षीय योजना का सम्यक विवेचन संभव नहीं था। साथ ही इस विशेषांक ने अनेक विद्वानों को अपनी राय प्रकट करने के लिए भी आंदोलित किया। ऐसे महत्वपूर्ण आलेखों-प्रतिक्रियाओं को हम योजना के आगामी अंकों में प्रकाशित करते रहेंगे। इस श्रृंखला की पहली कड़ी के रूप में यहां वरिष्ठ चिंतक और योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष मोहन धारिया *का आलेख प्रस्तुत है* – *वरिष्ठ संपादक*

जल एवं खाद्य सुरक्षा

जाने-माने अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों का अनुमान है कि भारत जैसे विकासशील देश को अगले 50 वर्षों के दौरान जल और खाद्य पदार्थों की कमी की भयानक स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। इन पदार्थों की कमी के चलते करोड़ों लोग भुखमरी के शिकार हो सकते हैं और मर सकते हैं। योजना आयोग इस मूल्यांकन को मंजूर करने से इनकार करता रहा है।

भारत में हर साल बरसात से क़रीब 400 एमएचएम पानी प्राप्त होता है और यहां की 50 प्रतिशत ज़मीन परती है अथवा बेकार पड़ी है। इसके अलावा अनाज की मौजूदा प्रतिहेक्टेयर उत्पादकता और प्रतिमवेशी दूध अथवा वसा का उत्पादन भी काफी कम है। हालांकि भारत में बड़े, मझोले और छोटे सिंचाई बांधों के निर्माण पर करोड़ों रुपयों का निवेश किया गया है, लेकिन प्रकृति-प्रदत्त कुल जल के 10 प्रतिशत का भी संचयन करने में हम विफल रहे हैं। जब भी और जहां भी वर्षा होती है, वहां अगर पानी की एक-एक बूंद का संचय कर लिया जाए तो भारत की पेयजल की ज़रूरत पूरी की जा सकती है और परती पड़ी ज़मीन पर सिंचाई का इंतजाम करके उस पर विभिन्न प्रकार की सब्जियां, फल और अनाज उगाए जा सकते हैं। इसके अलावा नयी विकसित प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके प्रतिहेक्टेयर अनाज की उत्पादकता, प्रतिमवेशी या पक्षी पीछे खाद्य पदार्थों की उपलब्धता बढ़ाई जा सकती है जिससे विकासदर में वृद्धि होगी और खाद्य पदार्थों की उपलब्धता बढ़ेगी। इन परिस्थितियों में भारत में खाने-पीने की कमी नहीं हो सकती। यह ज़रूर है कि इसके लिए अपने आस-पास विकास कार्यक्रमों को वैज्ञानिक ढंग से संभालना होगा और देश के सभी 6 लाख गांवों में ऐसा करना होगा। 12वीं योजना में चरणबद्ध और समयबद्ध तरीक़े से केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा अगले पांच वर्षों में कार्यक्रमों को लागू करने की बात कही गई है।

नदियों को आपस में जोड़ना

सरकार देश की सभी बड़ी नदियों को आपस में जोड़ने की कोशिश करती रही है। लेकिन इस काम में अनेक तरह की बाधाएं हैं। इसके अलावा इस काम को पूरा करने के लिए भारी पूंजी निवेश की ज़रूरत है। लेकिन तीन-चार जिलों में अथवा एक जिले की छोटी-छोटी नदियों को जोड़ना संभव है। इस तरह की कोशिशें पहले भी की जा चुकी हैं और बाढ़ का पानी आस-पास के बांधों और कुओं में इकट्ठा किया जा चुका है जिससे भू-जल स्तर बढ़ा है और धुले (महाराष्ट्र जैसे जिलों में अकाल जैसी स्थिति पर काबू पाया जा सका है। देश की छोटी नदियां पवित्र हैं लेकिन उन्हें उद्गम स्थल से संगम तक स्वच्छ बनाए रखने की ज़रूरत है।

निरक्षरता निवारण

नये विद्यालयों के भवन बनाने की जगह कंप्यूटर और नयी सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल देश के क़रीब 30 करोड़ अनपढ़ों को साक्षर बनाने में किया जाना चाहिए। सभी क्षेत्रीय भाषाओं में नये साधनों का विकास किया जा चुका है। प्रशिक्षकों-कार्मिकों की मदद से इस कार्यक्रम को मौजूद विद्यालयों में लागू किया जा सकता है। ग्राम पंचायत भवनों, मंदिरों, मस्जिदों, चर्चों और ऐसे ही हर गांव, कस्बों और शहरों में उपलब्ध भवनों का इस्तेमाल इस उद्देश्य से किया जा सकता है। 12वीं योजना में 2-3 वर्षों के अंदर देश से निरक्षता मिटाने का प्रस्ताव किया गया है।

सबके लिए स्वास्थ्य

भारत को सबके लिए स्वास्थ्य का लक्ष्य पूरा करने में सिर्फ़ एलोपैथी ही नहीं बल्कि समन्वित देसी इलाज व्यवस्था अपनाने पर भी ध्यान देना चाहिए। भारत की परंपरागत आयुर्वेद, यूनानी और सिद्ध चिकित्सा प्रणालियों में छोटे-मोटे रोगों का इलाज करने की क्षमता है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भी जब गांवों में डॉक्टर नहीं होते थे।

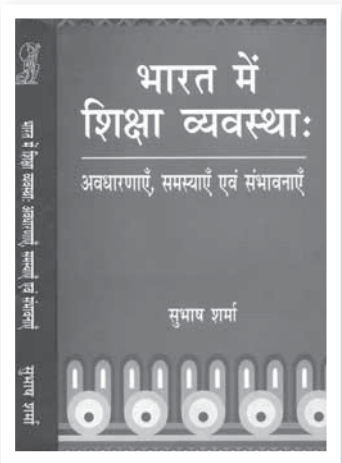

पुस्तक का नाम : भारत में शिक्षा व्यवस्था
लेखक : सुभाष शर्मा; **प्रकाशक :** वाणी प्रकाशन, दरियागंज, नयी दिल्ली; **पृष्ठ संख्या :** 324; **मूल्य :** 150/-(पेपर बैक); **वर्ष :** 2010

भारत में शिक्षा व्यवस्था

● **विनोदानन्द झा**

आज मनुष्य के विकास में विद्यालय की भूमिका महत्वपूर्ण है। अध्यापक अपने शिष्य को जब अपना समझते हैं, विश्वास, प्यार के साथ ज्ञान प्राप्ति की स्थिति उत्पन्न करते हैं तो बच्चा पढ़ता है और आगे बढ़ता है। परंतु जहां बच्चों को तिरस्कार की नज़र से देखा जाए, उसे अज्ञानी, मूढ़, नहीं सुधरनेवाला माना जाए और शिक्षक खुद को पंडित समझता रहे, वैसे विद्यालयों में बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते। ऐसे माहौल से बच्चे दब्बू, कमज़ोर, डरपोक और असफल होकर बाहर निकलते हैं। शिक्षा के नाम पर चल रही इस अव्यवस्था का पैना विश्लेषण किया है डॉ. सुभाष शर्मा ने अपनी चर्चित क़िताब *भारत में शिक्षा व्यवस्था* में। लेखक विद्यालय से बाहर ऐसे लाखों बच्चों की चर्चा करते हैं जो दाखिला नहीं ले पाए। कुछ स्कूल में शामिल भी हुए तो बिना कुछ सीखे बाहर निकले। उन्होंने उदाहरण देते हुए लिखा है– ''भारत में अभी भी लगभग दस लाख मेहतर हैं, जो पखाना की सफ़ाई का कार्य अपने हाथों से करते हैं। यद्यपि इसे समाप्त करने की कई बार घोषणा की गई, परंतु इसे अभी तक अमलीज़ामा नहीं पहनाया जा सका है। उनके बच्चे, खासकर बेटियां, अभी भी विद्यालयी शिक्षा से वंचित हैं। जो सरकारी विद्यालयों में पढ़ते हैं, उनके साथ नाना प्रकार के भेदभाव किए जाते हैं, जिनमें पीछे बैठाना, टाटा-पट्टी पर नहीं बैठाना, अलग बैठाना, पिटाई करना, डांटना-फटकारना, जातिगत आधार पर दुत्कारना, उनकी कमज़ोरी को ज़रूरत से ज्यादा दिखाना और खिल्ली उड़ाना, उनकी पढ़ाई की प्रगति पर ध्यान न देना, खेलकूद और सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने का मौका न देना आदि प्रमुख हैं।

यह क़िताब सिर्फ़ समस्याओं की फेहरिस्त नहीं पेश करती बल्कि शिक्षा की अवधारणाओं और सुधार की संभावनाओं को भी रेखांकित करती है। पुस्तक में प्रमुखत: तीन खंड हैं। प्रथम खंड में शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न चिंतकों के विचार 'अवधारणा' शीर्षक के अंतर्गत है। इसमें जहां भारतीय मनीषी रवींद्रनाथ ठाकुर, महात्मा गांधी, गिजु भाई बधेका के शिक्षा दर्शन को रखा गया है वहीं मरिया मांटेसरी, पाओलो फेरे, इवान इलिच जैसे श्रेष्ठ विचारकों को विस्तार से उद्धृत किया गया है। लेखक ने बारवियाना (इटली) के बच्चों के पत्र के माध्यम से चिंतन एवं व्यवहार के स्तर पर उत्पन्न शिक्षा व्यवस्था की कमियों को उजागर किया है।

द्वितीय खंड भारतीय परिस्थिति में शिक्षा की समस्या पर केंद्रित है। ग्रामीण शिक्षा की समस्या और 21वीं सदी में शैक्षिक चुनौतियों पर एक सम्यक विश्लेषण प्रस्तुत करते हुए कठिनाइयों को सामने लाया गया है और उससे जुड़े सभी पक्षों की कमियों को विश्लेषित किया है।

लेखक ने अपने चिंतन और अनुभव के आधार पर बिहार और भारत की परिस्थिति में सुधार की संभावनाओं को स्पष्टता के साथ तीसरे खंड में रखा है। यहां आदर्शों का बखान या उपदेशों की सूची नहीं है बल्कि हम जिन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं, हमारी जो कमज़ोरी और ताक़त है, हमारी जो आवश्यकताएं और सीमाएं हैं, उसके साथ हम क्या कर सकते हैं, यह संभावना दूसरे खंड के छह अध्यायों में वर्णित हैं। डॉ. शर्मा सिर्फ़ लेखक नहीं दिखते, उन्होंने एक नागरिक के रूप में, एक भारतीय विचारक के रूप में, समस्याओं से लड़ रहे एक सिपाही के रूप में अपने को प्रस्तुत किया है। उन्होंने अनुभव आधारित ऐसे सुझाव, ऐसे तरीक़े, ऐसे कार्यक्रम और रणनीति पेश की है जो हममें स्थितियों को बदलने की आशा जगाती है।

'संभावना' खंड सार्थक बदलाव की दिशा दिखाती है। लेखक बताते हैं– कक्षा के भीतर की स्थिति के बारे में कि हम वर्तमान वर्ग कक्ष को कैसे बदलें? कैसे शिक्षक केंद्रित अध्यापन को बाल केंद्रित शिक्षण में तब्दील करें? पढ़ाने को सिखाने में, भाषण को संवाद में एवं एकतरफा जानकारी थोपने को परस्पर अंत:क्रिया में परिवर्तित करें। यहां लेखक एक अनुभवी शिक्षक के रूप में खड़े दिखते हैं जो विद्यार्थी को खाली घड़ा नहीं मानता, मिट्टी की मूरत नहीं समझता बल्कि तेल से भरा एक दीपक मानता है जिसे सिर्फ़ सुलगाने की ज़रूरत है। बच्चे स्वाध्यायी और स्वावलंबी बनें, कुशल और समर्थ बनें, यही उपलब्धि है शिक्षक की। डॉ. शर्मा लिखते हैं– चूंकि शिक्षक की भूमिका सामाजिक परिवर्तन के अभिकर्ता की भी होती है, इसलिए उससे अपेक्षा की जाती है कि वे नानाप्रकार के जातिगत, धर्मगत, वंशगत, भाषागत, क्षेत्रगत, लिंगगत आदि पूर्वाग्रहों को न पाले। दुर्भाग्यवश व्यवहार में उपर्युक्त आधारों पर भेदभाव किया जाता है।

पूर्वोत्तर के जनजीवन से जुड़ा बांस

● देवेन्द्र उपाध्याय

विश्व में बांस के उत्पादन में भारत का दूसरा और प्रजातियों की दृष्टि से तीसरा स्थान है। भारत में प्रतिवर्ष 32.3 लाख टन का उत्पादन होता है जोकि चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। प्रजातियों की दृष्टि से चीन और जापान के बाद भारत तीसरे स्थान पर है। भारत में बांस की 126 पादप प्रजातियां पाई जाती हैं जिनमें से आधी प्रजातियां अकेले पूर्वोत्तर के सात राज्यों में मिलती हैं। देश के कुल वनाच्छादित क्षेत्र में बांस की विभिन्न प्रजातियों का 12.8 प्रतिशत योगदान है, जोकि 10.03 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फैली हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे अधिक 30.8 प्रतिशत क्षेत्र के अंतर्गत मिज़ोरम में तथा 26 प्रतिशत क्षेत्र में मेघालय में बांस पाया जाता है।

बांस बहुपयोगी है। इसका उपयोग खाद्य, आवास, फर्नीचर, घरेलू सामान, दवाइयों तथा कई तरह के धार्मिक कार्यों के लिए किया जाता है। बांस बहुत कम समय में तैयार हो जाता है और उत्पादकों के लिए नियमित आमदनी का साधन बनने के कारण कृषि वानिकी के लिए यह बहुत उपयोगी है।

उत्तर-पूर्व में बांस के अनेक रूप शीर्षक पुस्तक में इसके लेखकद्वय भगवती प्रसाद भट्ट और कमल मल्ल बुजरबरुआ ने विस्तार से जानकारी दी है। श्री भट्ट भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पूर्वोत्तर कृषि अनुसंधान परिसर नगालैंड केंद्र से संबद्ध हैं जबकि श्री बुजरबरुआ असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहाट के कुलपति हैं। इसका हिंदी संपादन हरीशचंद जोशी ने किया है, जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में कार्यरत हैं।

परिचय में बताया गया है कि अभी तक इस क्षेत्र (पूर्वोत्तर) के बांस संसाधनों से संबंधित छुटपुट सूचनाएं ही उपलब्ध हैं तथापि खाने योग्य प्रमुख बांस प्रजातियों की उत्पादन क्षमता के साथ-साथ बांस के प्ररोहों (तनों) तथा किण्वित प्ररोहों (फरमेंटेड तनों) का खाद्य के रूप में उपभोग पैटर्न मूल्यांकन करने के अभी तक कोई प्रयास नहीं किए गए हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र के सभी राज्यों का सर्वेक्षण करने के प्रयास किए गए हैं ताकि प्रचुर स्थानों में बांस के प्ररोहों का उपयोग तथा इसके आर्थिक लाभों की पहचान की जा सके। इसके अतिरिक्त बांस के प्ररोहों के पोषक मूल्य का भी आकलन किया गया है जिससे जनजातीय समुदायों की पोषण क्षमता को समझा जा सके। पुस्तक में खाने योग्य प्रजातियों की निर्यात संभावनाओं को भी रेखांकित किया गया है ताकि रोज़गार अवसरों के सृजन द्वारा राजस्व प्राप्त किया जा सके और साथ ही व्यावसायिक रूप में उपलब्ध खाने योग्य बांस प्रजातियों को बड़े पैमाने पर लगाने के लिए एक व्यापक भंडार तैयार किया जा सके।

पुस्तक : उत्तर-पूर्व में बांस के अनेक रूप; **लेखक** : भगवती प्रसाद भट्ट, कमल मल्ल बुजरबरुवा; **हिंदी संपादन** : हरीशचंद जोशी; **प्रकाशक** : पूर्वोत्तर पर्वतीय कृषि अनुसंधान परिषद (भा.कृ.अनु.प्र.), नगालैंड केंद्र, मेडजिफेमा (नगालैंड); **पृष्ठ संख्या** : 105;

पूर्वोत्तर क्षेत्र 21.5 डिग्री से 35.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 45.5 डिग्री से 97.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। इसके अंतर्गत 18.4 लाख हेक्टेयर भौगोलिक क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र की भौगोलिक ऊंचाई 100 से लेकर 4,500 मीटर तक है और यह अत्यधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। बांस इस क्षेत्र के सबसे प्रबल संसाधनों में से एक है जिसके बिना इन राज्यों के आदिवासी समुदाय के जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती है।

पूर्वोत्तर राज्यों– अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नगालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा का अध्ययन प्रस्तुत पुस्तक में किया गया है जिसमें बताया गया है कि बांस के नये कोमल प्ररोहों को सालभर खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा बांस की विभिन्न प्रजातियों के फरमेंटेड उत्पाद भी तैयार किए जाते हैं। पुस्तक में 73 सारिणी और बांस के विभिन्न रूपों के अनेक चित्र भी दिए गए हैं।

अध्ययन में 127 बाज़ार स्थलों में अरुणाचल के 48 बाज़ार स्थलों को शामिल करते हुए 179 विक्रेताओं का सर्वेक्षण किया गया। अपनाई गई विधि के अंतर्गत सर्वेक्षण करते हुए यह तुलनात्मक अध्ययन भी किया गया है कि किन-किन राज्यों में कौन-कौन-सी प्रजातियां व्यावसायिक रूप से खाने योग्य हैं।

अरुणाचल में 5 बांस प्रजातियां खाने योग्य हैं लेकिन उनमें डी. हेमिल्टोनी ही एकमात्र प्रजाति है जो लोअर सुबनसिरी, ईस्ट सियांग तथा पालेन को छोड़कर अन्य सभी 12 जिलों में बेची जाती है। इसका वार्षिक उपयोग प्रतिवर्ष 12,957.17 क्विंटल दर्ज़ किया गया। राज्य में बांस के किण्वित प्ररोहों को बड़ी मात्रा में स्लाइस फरमेंटेड, क्रश्ड फरमेंटेड, फरमेंटेड ड्राई, पूरे प्ररोह को फरमेंट कर या भून करके भी खाया जाता है।

मणिपुर में 18 जिले में आठ बांस प्रजातियां हैं जिनमें एक चिंग्बा अचिन्हांकित प्रजाति है। इन प्रजातियों का खाने के लिए प्रयोग किया जाता है।

रजि.सं.डीएल (एस)-05/3231/2012-14
Reg. No. D.L.(S)-05/3231/2012-14 at RMS, Delhi
25 जनवरी, 2012 को प्रकाशित • 29-30 जनवरी, 2012 को डाक द्वारा जारी

Licenced under U (DN)-52/09-11
आर.एन.आई. 951/57
R.N.I. 951/57

एक सम्पूर्ण वार्षिक संदर्भ ग्रंथ के साथ

प्रतियोगिता परीक्षाओं में

सफलता

बाजार में उपलब्ध

नवीन आँकड़ों एवं तथ्यों सहित

मूल्य ₹ 250/-

Code 870

समसामयिक ताजा घटनाओं का विश्लेषण, खेल समाचार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, उद्योग व्यापार, विशिष्ट व्यक्तियों, पुरस्कारों एवं अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर उपयोगी सामग्री

निःशुल्क पुस्तिका

ताजा महत्वपूर्ण घटनाओं का विवेचन

English Edition Code No. 801 • ₹ 260

प्रतियोगिता दर्पण
2/11 ए, स्वदेशी बीमा नगर, आगरा–282 002
फोन : 4053333, 2530966, 2531101
फैक्स : (0562) 4053330
E-mail : care@pdgroup.in

To purchase online log on to www.pdgroup.in

YH-245